

राजस्थान सरकार

RTP-10

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग

क्रमीक प. उ(1177)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक :- 13-10-2011

परिपत्र

विषयः राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी २०१० (१० हैक्टेयर से अधिक/कम) के अन्तर्गत निजी विकःसकर्ता की प्रस्तावित योजना में सम्मलित राजकीय भूमि के आवंटन दर बाबत।

राजस्थान टाउनिशप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टेयर से अधिक/कम) दिनांक 28.6.10 को जारी होने के पूर्व तथा पश्चात् पट्टा जारी करने की कार्यवाही ऐसी योजनाओं के मध्य राजकीय भूमि सम्मिलित होने के कारण प्रक्रियाधीन है। राज्य में कई प्रकरण लिबत है जिनमें धारा 90(बी) (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। यदि राजकीय भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जाता है तो ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता है।

खातेदार/निजी विकासकर्ता द्वारा धारा १०० बी (3) भू-राजस्व अधिनयम के अन्तर्गत योजना विकसित करते समय कितिपय योजनाओं में आंशिक रूप से राजकीय भूमि (यथा सिवायचक, चारागाह एवं गैर मुमिकन रास्ते आदि) छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में आ जाती है। जिनका स्वतंत्र रूप से भूखण्डों के रूप में योजना बनाकर संबंधित रथानीय निकाय के स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। खातेदार/निजी विकासकर्ता द्वारा ऐसी राजकीय भूमि का उपयोग सड़को, पाकों, सामुदायिक भवनों/सार्वजनिक उपयोग हेतु आरिक्षत भूमि के रूप में किया जाता है तथा कुछ मामलों में ले-आउट प्लान में नगरीय नियोजन की दृष्टि से आवासीय भूखण्डों को समकोणीय बनाने की दृष्टि से ऐसी राजकीय भूमि का कुछ भाग उपयोग में लिया जाता है। कई योजनाओं में ऐसी राजकीय भूमि का गैर आवासीय उपयोग भी किया जाना अपरिहार्य हो गया है। ऐसी राजकीय भूमि को योजना में सम्मिलित किये बगैर योजना नगरीय नियोजन के मापदण्डों के अनुरूप विकसित नहीं हो सकती है।

धारा 90बी (1) भू-राजस्व अधिनियम के प्रकरणों में विभाग के पूर्व में जारी परिपत्रों के अनुसार राजकीय भूमि की दर योजना क्षेत्र की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार राशि वसूल कर नियमन किया जा रहा है, किन्तु धारा 90बी(3) के प्रकरणों में राजकीय भूमि की किस दर से राशि वसूल की जावे, स्थिति स्पष्ट नहीं होने से प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका है।

अतः उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि वसूल कर राजकीय भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया है:-

- (1) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 लागू होने की दिनांक 28.6.2010 के पूर्व जिन प्रकरणों में 90बी (3) की कार्यवाही हो चुकी है, उन मामलों में राजकीय भूमि की दर निर्धारण हेतु उक्त पॉलिसी के निजी क्षेत्र में आवासीय ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं संबंधी नीति के बिन्दु संख्या 13 के खण्ड-v के प्रावधान अनुसार योजना में स्थित राजकीय भूमि यदि विकसित है तो उक्त योजना अथवा समीप की योजना की आरक्षित तथा यदि ऐसी राजकीय भूमि अविकसित है तो कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर के आधार पर राशि वसूल की जाकर ऐसी राजकीय भूमि का आवंटन/निरामन किया जावे।
- (2) टाउनशिप पॉलिसी 2010 लागू होने के पश्चात के सगस्त प्रकरणों में खातेदार/निजी विकासकर्ता की योजना में साणितित राजकीय भूगि की आरक्षित दर या कृषि भूगि की डी.एल.सी. दर से जो भी अधिक हो के आधार पर राशि वसूल की जाकर ऐसी राजकीय भूगि का आवंटन/नियान किया जाते।
- (3) दिनांक 17.6. 1999 के पूर्व के प्रकरणों में राजकीय भूमि के नियमन हेतु संबंधित शंर था। का अधिकार क्षेत्र विभागीय परिपन्न 2. 14.07 के अनुसार ही यथानत रहेगा तथा दिनांक 28.6. 10 के पश्चात ऐसी राजकीय भूमि का आनंदन

्र करने का अधिकार क्षेत्रं शंजरथान ह्याद्मनशिष पॉलिसी २०४० के आवधानों के अनुसार रहेगा।

. अतः अपर्युवतानुसार योजनाओं में सम्मिलित राजकीय भूमि के समस्त प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

ਰੱ.

् (एन.एल. मीना) उप शासन सचिय-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
- 5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
- संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- 10. शासन उप सचिव प्रथम / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
- 12. उप विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- 13. रक्षित पत्रावली।

ह.

शासन उप सचिव-तृतीय